



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04122020-223503
CG-DL-E-04122020-223503

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3837]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 4, 2020/अग्रहायण 13, 1942

No. 3837]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 4, 2020/AGRAHAYANA 13, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4375(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 उप धारा (1) के अधीन जारी की गई, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र संख्या 3123 दिनांक 23 सितम्बर 2019 का.आ. 3429 (अ) दिनांक 7 सितम्बर 2019 भाग II खंड 3 उपखंड (ii) में किया गया है। इस अधिसूचना से सलंगन अनुसूची में विनिर्दिष्ट गुजरात राज्य की तहसील—पादरा जिला वडोदरा में गुजरात राज्य की भूमि में 8''/4''/4'' व्यास ऑयल/गैस पाइप लाइन्स मातर#11 से ईपीएस#11 से डबका जी.जी.एस. तक पेट्रोलियम परिवहन के लिए ओ.एन.जी.सी. लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित की जा रही परियोजना के सम्बन्ध में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को तारीख 26 सितम्बर 2019 को उपलब्ध करा दी गई थी।

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद द्वारा घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से सलंगन अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाए:

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय सभी विल्लिंगमों से मुक्त होकर ओ.एन.जी.सी. लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए ओ.एन.जी.सी. लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से संबंधित किसी भी मामले के विरुद्ध कोई वाद दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

83 व्यास ऑयल, 43 व्यास गेस व 43 व्यास डब्ल्यू. आई पाइपलाइन मातर इपीएस-11 से डबका जीजीएस तक

तालुका : पादरा		जिला : वडोदरा		राज्य : गुजरात		
गांव का नाम		सर्वे/ब्लॉक संख्या	भाग यदि कोई हो	क्षेत्रफल		
				हैक्टर	एयर	वर्गमीटर
1		2	3	4		
1	शानपुर	616		00	37	50
		617		00	29	65
		618		00	05	18
		619		00	19	75
		620		00	14	75
		कच्चा रास्ता		00	01	62
		30		00	37	50
		32		00	25	00
		37		00	30	00
		38		00	14	25
		16		00	41	25
		40		00	25	00
		42		00	23	25
		56		00	04	56
		एस.एच. रास्ता		00	04	96
		51		00	14	42
		62		00	14	42
		61		00	15	05
		57		00	62	27
2	मोभा	1776		00	31	57
		1777		00	16	18
		1779		00	28	00
		नाला		00	06	59
		1780		00	00	01
		1785		00	10	25
		1786		00	10	07
		कच्चा रास्ता		00	00	75
		1790		00	31	76
		1796		00	28	70

	1797		00	20	61
	कच्चा रास्ता		00	00	76
	1811		01	23	08
	1843		00	27	96
	1849		00	01	97
	1848		00	28	75
	1847		00	21	60
	पक्का रास्ता		00	02	50
	64		00	26	24
	49		00	26	50
	50		00	18	00
	कच्चा रास्ता		00	01	41
	54		00	05	00
	56		00	08	00
	70		00	14	00
	71		00	22	42
	72		00	08	20
	कच्चा रास्ता		00	01	53
	157		00	20	72
	159		00	40	00
	167		00	02	63
	253		00	44	19
	255		00	17	15
	257		00	22	00
	328		00	49	48
	327		00	23	20
	326		00	00	25
	325		00	20	28
	324		00	07	36
	1871		00	14	47
	371		00	06	00
	375		00	32	20
	1934		00	24	00
	681		00	02	72
	एन.जी. रेलवे		00	08	60
	399		00	00	47
	378		00	01	33
	400		00	15	99
	402		00	27	17
	404		00	23	44

		408		00	26	41
		407		00	03	14
		कच्चा रास्ता		00	00	83
		428		00	19	26
		429		00	21	31
		431		00	18	09
		432		00	03	96
3	गवासद	150		00	08	75
		152		00	14	00
		162		00	12	50
		151		00	18	75
		148		00	20	00
		145		00	08	00
		142		00	06	75
		143		00	22	00
		एस.एच. जंबुसर रास्ता		00	08	75
		76		00	37	50
		1141		00	27	50
		1140		00	38	00
		1139		00	10	10
		1127		00	40	00
		1110		00	58	00
		1014		00	06	00
		1011		00	22	00
		1010		00	52	75
		974		00	28	00
		972		00	06	25
		971		00	06	25
		970		00	20	00
		967		00	40	00
		960		00	25	00
		963		00	20	00
		915		00	51	50
		914		00	28	00
		913		00	14	00
		912		00	18	00
		904		00	40	00

[फा. सं. Expl-11032(11)/30/2020-EXPL-I-PNG]

कुलदीप कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st December, 2020

S.O. 4375(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Published in the Gazette No. 3123 dated 23 September 2019 S.O. No. 3429(E) Dated 7 September 2019, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (Hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land situated in Tehsil Padra of Vadodara in Gujarat State, specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying of 8"/4"/4" Oil/Gas pipeline for the transportation of petroleum product from Matar#11 to EPS#11 to Dabka GGS by the Oil & Natural Gas Corporation Ltd ”

And whereas the copies of the said Gazette notification were made available to the public on 26 September 2019.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, has submitted his report to the Central Government.

And whereas, to the Central Government after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of the user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user of the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vests on the date of publication of the declaration, in Oil and Natural Gas Corporation, free from all encumbrances.

Oil and Natural Gas Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to pipeline.

SCHEDULE**8" Ø Oil, 4" Ø Gas & 4" Ø W.I. Pipeline from Matar EPS #11 to Dabka GGS**

TALUKA :- PADRA		DIST. :- VADODARA		STATE :- GUJARAT		
Name of Village		Survey No./ Block No.	Part if any	RoU Area		
				Hq.	Are.	Sq.mtr
1		2	3	4		
1	Shanpur	616		00	37	50
		617		00	29	65
		618		00	05	18
		619		00	19	75
		620		00	14	75
		Cart track		00	01	62
		30		00	37	50
		32		00	25	00
		37		00	30	00
		38		00	14	25
		16		00	41	25
		40		00	25	00
		42		00	23	25
		56		00	04	56

		SH-Road		00	04	96
		51		00	14	42
		62		00	14	42
		61		00	15	05
		57		00	62	27
2	Mobha	1776		00	31	57
		1777		00	16	18
		1779		00	28	00
		Nala		00	06	59
		1780		00	00	01
		1785		00	10	25
		1786		00	10	07
		Cart track		00	00	75
		1790		00	31	76
		1796		00	28	70
		1797		00	20	61
		Cart track		00	00	76
		1811		01	23	08
		1843		00	27	96
		1849		00	01	97
		1848		00	28	75
		1847		00	21	60
		Asp. Road		00	02	50
		64		00	26	24
		49		00	26	50
		50		00	18	00
		Cart track		00	01	41
		54		00	05	00
		56		00	08	00
		70		00	14	00
		71		00	22	42
		72		00	08	20
		Cart track		00	01	53
		157		00	20	72
		159		00	40	00
		167		00	02	63
		253		00	44	19
		255		00	17	15
		257		00	22	00
		328		00	49	48
		327		00	23	20
		326		00	00	25
		325		00	20	28

	Mobha	324		00	07	36
		1871		00	14	47
		371		00	06	00
		375		00	32	20
		1934		00	24	00
		681		00	02	72
		N.G. Railway		00	08	60
		399		00	00	47
		378		00	01	33
		400		00	15	99
		402		00	27	17
		404		00	23	44
		408		00	26	41
		407		00	03	14
		Cart track		00	00	83
		428		00	19	26
		429		00	21	31
		431		00	18	09
		432		00	03	96
3	Gavasad	150		00	08	75
		152		00	14	00
		162		00	12	50
		151		00	18	75
		148		00	20	00
		145		00	08	00
		142		00	06	75
		143		00	22	00
		SH-Jambusar		00	08	75
		76		00	37	50
		1141		00	27	50
		1140		00	38	00
		1139		00	10	10
		1127		00	40	00
		1110		00	58	00
		1014		00	06	00
		1011		00	22	00
		1010		00	52	75
		974		00	28	00
		972		00	06	25
		971		00	06	25
		970		00	20	00
		967		00	40	00
		960		00	25	00

		963		00	20	00
		915		00	51	50
		914		00	28	00
		913		00	14	00
		912		00	18	00
		904		00	40	00

[F. No. Expl-11032(11)/30/2020-EXPL-I-PNG]

KULDEEP KUMAR, Under Secy.